मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022

क्रमांक 317/1027/2021/32-3 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)(सम्मति) मध्य प्रदेश नियम 1975 के अन्तर्गत पर्यावरण विभाग के दिनांक 26/6/2018 एवं दिनांक 19/1/2022के आदेश को अधिक्रमित करते हुये नियम 4 के में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुये नियम 4 के खण्ड (पांच) अनुसार **''उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि** के द्वारा जल सम्मति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र के साथ यथा निर्दिष्ट सम्मति शुल्क सम्यक रूप से दिनांक 1/4/2022 के उपरांत आवेदन किये जाने पर देय होगाः-

सारणी एक

स्थापना सम्मति शुल्क (पांच वर्ष हेतु)(CTE)

क	कुल विनिधान	शुल्क
1	रूपये 1 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत अधिकतम शुल्क राशि रूपये 3000/-
2	रूपये 1 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 10 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 15000/-
3	रू. 10 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 50 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.02 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 50000/-
4	रूपये 50 करोड एवं उससे अधिक विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 50 लाख

जल/वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

सारणी दो

उत्पादन सम्मति शुल्क (प्रतिवर्ष हेतु)(CTO)

क	कुल विनिधान	शुल्क
1	रूपये 1 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत अधिकतम शुल्क राशि रूपये 3000/-
2	रूपये 1 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 10 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 15000/-

3	रू. 10 करोड एवं उससे अधिक किन्तु रूपये 50 करोड से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.02 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 50000/-
4	रूपये 50 करोड एवं उससे अधिक विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रूपये 50 लाख

जल/वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

सारणी तीन

खदानों से स्थापना सम्मति (5 वर्ष) हेतु खदान क्षेत्र अनुसार रूपये 2,000/- प्रति हेक्टेयर एवं उत्पादन सम्मति हेतु खदान क्षेत्र अनुसार रूपये 1,000/- प्रति हेक्टेयर (प्रतिवर्ष) राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी, तथा जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा ।

विनिधान एवं क्रियान्वन के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा स्वयं निर्णय लिया जायेगा । उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 1/4/2022 के उपरांत के आवेदनों पर प्रभावशील होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक 318/1027/2021/32-3 भोपाल, दिनांक 31.3.2022

प्रतिलिपिः-

(1) विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, पर्यावरण

(2) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग